न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 31/2018 एवं अपील संख्या 30/2018 जिला– सीकर

1. रामेश्वर पुत्र नाथू राम
2. दीपाराम पुत्र नानू राम
   जाति जाट, निवासी पिपराली, तहसील व जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मांगू पुत्र महमदा
2. शरीफ पुत्र नूरदीन
3. अकील पुत्र नूरदीन
4. मोहम्मद रफीक पुत्र झाडू
5. मोहम्मद इकबाल पुत्र झाडू
6. रमजान पुत्र वजीर खां
7. कासिम अली पुत्र वजीर खां
8. मोहम्मद अमीन पुत्र वजीर खां
9. मोबारक अली पुत्र गुलाब नबी
   जाति मुसलमान कसाई, निवासी मौहल्ला व्यापारियान बकरा मण्डी के पास, वार्ड नम्बर 10 नया सीकर, तहसील व जिला सीकर ।
10. तहसीलदार सीकर जिला सीकर
11. ताराचन्द पुत्र नाथू राम, जाति जाट, निवासी पिपराली, तहसील व जिला सीकर
12. उप पंजीयक सीकर

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 1.6.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री अर्जुन सिंह व श्री सीताराम जाट

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील संख्या 30/2018 जिला– सीकर

1. रामेश्वर पुत्र नाथू राम
2. दीपाराम पुत्र नानू राम
   जाति जाट, निवासी पिपराली, तहसील व जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मांगू पुत्र महमदा
2. शरीफ पुत्र नूरदीन
3. अकील पुत्र नूरदीन
4. मोहम्मद रफीक पुत्र झाडू
5. मोहम्मद इकबाल पुत्र झाडू
6. रमजान पुत्र वजीर खां
7. कासिम अली पुत्र वजीर खां
8. मोहम्मद अमीन पुत्र वजीर खां

9. मोबारक अली पुत्र गुलाब नबी
   जाति मुसलमान कसाई, निवासी मौहल्ला व्यापारियान बकरा मण्डी के पास, वार्ड नम्बर 10 नया सीकर, तहसील व जिला सीकर ।
10. तहसीलदार सीकर जिला सीकर
11. ताराचन्द पुत्र नाथू राम, जाति जाट, निवासी पिपराली, तहसील व जिला सीकर
12. उप पंजीयक सीकर

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 9.3.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री अर्जुन सिंह व श्री सीताराम जाट

निर्णय

दिनांक 15.1.2020

यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 1.6.2016 एवं निर्णय 9.3.2018 के खिलाफ पृथक–पृथक प्रस्तुत हुई है । दोनों प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न निम्न प्रकार है :–

चित्र।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह कि रेस्पोंडेन्ट मांगू वगैहरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया कि भूमि पुराना खसरा नम्बरान 745 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 746 रकबा 32 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 747 रकबा 2 बीधा 4 बिस्वा , खसरा नम्बर 774 रबबा 9 बीघा 13 बिस्वा , कुल किता 4 कुल रकबा 47 बीघा 17 बिस्वा ग्रम पिपराली तहसील सीकर में अवस्थित है , जो उनकी पैतृक कृषि भूमियॉ हैं तथा उनके पूर्वजों के खाते, कब्जे , काश्त में रही है । नये भू प्रबन्ध के दौरान उपरोक्त भूमियों का केवल मात्र एक ही खसरा नम्बर कायम हुआ, जो खसरा नम्बर 2186 रकबा 10.84 हैक्टेयर के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया है तथा ग्रम पुरोहित का बास नया राजस्व ग्रम घोषित होने के पश्चात् से उपरोक्त भूमि उक्त गॉव में अवस्थित है । नये भू प्रबन्ध के वक्त भू प्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों की भूलवश रकबा 47 बीघा 17 बिस्वा का हैक्टेयर प्रणाली में रकबा बटाई करने पर 12.10 हैक्टेयर होता है जबकि उनकी खातेदारी भूमि का रकबा 10.84 हैक्टेयर दर्ज किया गया तथा मिलान क्षेत्रफल में भी भूमि के पुराने खसरा नम्बर 746 का रकबा 32 बीघा 8 बिस्वा के स्थान पर गलत रूप से

23 बीघा 8 बिस्वा अंकित कर दिया गया । उनकी पैतृक भूमि नया खसरा नम्बर 2186 ग्राम पुरोहित का बास तहसील सीकर का रकबा 10.84 के स्थान पर 12.10 हैक्टेयर तथा उक्त भूमि के मिलान क्षेत्रफल में पुराने खसरा नम्बर 746 का रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा के स्थान पर 32 बीघा 8 बिस्वा अंकित किया जावे ।

उप खण्ड अधिकारी सीकर ने रेस्पोंडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2016 पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पुराहित का बास , तहसील सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2184 रकबा 2.69 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 773 रकबा 7 बीघा से बनने एवं उसको हैक्टेयर में बदलने पर रकबा 1.77 हैक्टेयर बनता है । इस प्रकार इस खसरा नम्बर का रकबा 0.92 हैक्टेयर गत के मुकाबले बढा है जिसमें से 0.92 हैक्टेयर रकबा कम कर एवं इसी प्रकार वर्तमान खसरा नमबर 2249 रकबा 3.82 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 748 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा व 749 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा से बना है जिसके हैक्टेयर में रकबा 3.57 हैक्टेयर बनता है , जो गत के मुकाबले 0.25 हैक्टेयर ज्यादा है जिसमें से 0.25 हैक्टेयर कम कर खसरा नम्बर 2186 रकबा 10.84 हैक्टेयर में बढाया जाकर रकबा 12.01 हैक्टेयर एवं मिलान क्षेत्रफल में पुरान खसरा नम्बर 746 का रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा के स्थान पर इसी अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । प्रार्थीगण शेष कम भूमि के लिये नियमानुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकते हैं ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उप खण्ड अधिकारी सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 1.6.2016 के खिलाफ अपीलान्ट रामेश्वर द्वारा प्रस्तुत अपील, अपील संख्या 31/2018 पर दर्ज की गई जिसमें अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

अपीलान्ट रामेश्वर द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी.पी. सी. एवं राजीनामा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष दिनांक 26.12.2016 को प्रस्तुत कर पारित निर्णय दिनांक 1.6.2016 निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण को सुन कर पुनः निर्णय पारित करने एवं दौराने निर्णय प्रतिपक्षगण को पाबन्द करने कि वे वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2186 को अन्यंत्र ट्रान्सफर न करें मौके तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे ।

अपीलान्ट रामेश्वर के उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर ने निर्णय दिनांक 9.3.2018 पारित किया कि "प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा जो आदेश दिनांक 1.6.2016 को दुरूस्ती का किया गया है वह रिकार्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है । इसलिये उक्त आदेश इस न्यायालय द्वारा जरिये राजीनामा रिवर्ट नहीं किया जा सकता है । क्योंकि जो भूमियों का रकबा कमी बेशी किया गया है , रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर किया गया है । पक्षकारान को कोई आपत्ति –ऐतराज हो तो वह सक्षम

न्यायालय में आदेश की अपील कर सकता है । अतः प्रकरण राजीनामा के आधार पर निर्णित नहीं हो सकने के कारण खारिज किया जाता है पक्षकारान सक्षम अपीलीय न्यायालय में पूर्व आदेश की अपील करने हेतु स्वतंत्र है ।"

उप खण्ड अधिकारी सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 9.3.2018 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, अपील संख्या 30/2018 पर दर्ज की गई है जिसमें अपील स्वीकार करने एवं उप खण्ड अधिकारी सीकर का निर्णय दिनांक 1.6.2016 निरस्त किये जाने तथा प्रार्थना पत्र संख्या 7/2017 स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई ।

दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स आराजी खसरा नम्बर 2184 रकबा 2.69 वाके ग्राम पुरोहित का बास के खातेदार थे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को नोटिस जारी किये बिना एवं उन्हें बिना पक्षकार बनाये व बिना सुने अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2016 पारित कर अपीलान्ट्स के आराजी खसरा नम्बर 2184 रकबा 2.69 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 773 रकबा 7 बीघा से बनने तथा हैक्टेयर में बदलने पर रकबा 1.77 हैक्टेयर बनने से इस खसरा नम्बर का रकबा 0.92 हैक्टेयर गत के मुकाबले बढने से रकबा 0.92 हैक्टेयर कम कर दिया है । अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि तहसील सीकर में भू प्रबन्ध संक्रियाऐं 1980 में हुई थी जिसमें रेस्पोंडेन्ट्स ने 36 वर्ष पश्चात् वर्ष 2016 में दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर विचार किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है , जो विधिसम्यक नहीं है । उनका यह भी कहना था कि तहसीलदार की रिपोर्ट एकपक्षीय थी जिसमें प्रार्थियान की भूमि पर रेस्पोंडेन्ट्स का कब्जा स्वीकार नहीं किया है एवं अपीलान्ट की भूमि का रकबा कम कर दिया । उनका यह भी कहना था कि प्रकरण धारा 136 एल.आर. एक्ट की परिधि में नहीं होने के बावजूद भी निर्णय पारित करने में क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है ।

उनका यह भी कहना था कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2016 के पश्चात् पक्षकारान के मध्य दिनांक 2.2.2018 को राजीनामा हो गया था कि खसरा नम्बर 2184 का रकबा वापिस 1.77 के स्थान पर 2.69 हैक्टेयर कर दिया जावे । इस राजीनामें के आधार पर प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत किया था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.3.2018 द्वारा प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि न्यायालय द्वारा

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जो आदेश दिनांक 1.6.2016 को दुरूस्ती का दिया गया है वह रिकार्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है इसलिये उक्त आदेश न्यायालय द्वारा जरिये राजीनामा रिवर्ट नहीं किया जा सकता । अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2016 एवं 9.3.2018 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2016 एवं 9.3.2018 निरस्त किये जावे ।

रेस्पोडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने मुख्य रूप से कथन किया कि भूमि पुराना खसरा नम्बरान 745 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 746 रकबा 32 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 747 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा , खसरा नम्बर 774 रबबा 9 बीघा 13 बिस्वा , कुल किता 4 कुल रकबा 47 बीघा 17 बिस्वा ग्रम पिपराली तहसील सीकर में अवस्थित है , जो रेस्पोडेन्ट्स की पैतृक कृषि भूमियॅा हैं तथा उनके पूर्वजों के खाते, कब्जे , काश्त में रही है । नये भू प्रबन्ध के दौरान उपरोक्त भूमियों का केवल मात्र एक ही खसरा नम्बर कायम हुआ जो खसरा नम्बर 2186 रकबा 10.84 हैक्टेयर के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया है तथा ग्रम पुरोहित का बास नया राजस्व ग्रम घोषित होने के पश्चात् से उपरोक्त भूमि उक्त गॅाव में अवस्थित है । नये भू प्रबन्ध के वक्त भू प्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों की भूलवश रकबा 47 बीघा 17 बिस्वा का हैक्टेयर प्रणाली में रकबा बटाई करने पर 12.10 हैक्टेयर होता है जबकि उनकी खातेदारी भूमि का रकबा 10.84 हक्टेयर दर्ज किया गया तथा मिलान क्षेत्रफल में भी भूमि के पुराने खसरा नम्बर 746 का रकबा 32 बीघा 8 बिस्वा के स्थान पर गलत रूप से 23 बीघा 8 बिस्वा अंकित कर दिया गया । उनकी पैतृक भूमि नया खसरा नम्बर 2188 ग्रम पुरोहित का बास तहसील सीकर का रकबा 10.84 के स्थान पर 12.10 हैक्टेयर तथा उक्त भूमि के मिलान क्षेत्रफल में पुराने खसरा नम्बर 746 का रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा के स्थान पर 32 बीघा 8 बिस्वा अंकित किये जाने के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2016 पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्रम पुराहित का बास , तहसील सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2184 रकबा 2.69 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 773 रकबा 7 बीघा से बनने एवं उसको हैक्टेयर में बदलने पर रकबा 1.77 हैक्टेयर बनता है । इस प्रकार इस खसरा नम्बर का रकबा 0.92 हैक्टेयर गत के मुकाबले बढा है जिसमें से 0.92 हैक्टेयर रकबा कम कर एवं इसी प्रकार वर्तमान खसरा नम्बर 2249 रकबा 3.82 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 748 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा व 749 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा से बना है जिसके हैक्टेयर में रकबा 3.57 हैक्टेयर बनता है , जो गत के मुकाबले 0.25 हैक्टेयर ज्यादा है जिसमें से 0.25 हैक्टेयर कम कर खसरा नम्बर 2186 रकबा 10.84 हैक्टेयर में बढाया जाकर रकबा 12.01 हैक्टेयर एवं मिलान क्षेत्रफल में पुरान खसरा नम्बर 746 का रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा के स्थान पर इसी अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । प्रार्थीगण शेष कम भूमि के लिये नियमानुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकते हैं ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उनका कहना था कि अपीलान्ट रामेश्वर के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी. एवं राजीनामा पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर ने निर्णय दिनांक 9.3.2018 पारित किया कि "प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा जो आदेश दिनांक 1.6.2016 को दुरूस्ती का किया गया है वह रिकार्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है । इसलिये उक्त आदेश इस न्यायालय द्वारा जरिये राजीनामा रिवर्ट नहीं किया जा सकता है । क्योंकि जो भूमियों का रकबा कमी बेशी किया गया है , रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर किया गया है । पक्षकारान को कोई आपत्ति –ऐतराज हो तो वह सक्षम न्यायालय में आदेश की अपील कर सकता है । अतः प्रकरण राजीनामा के आधार पर निर्णित नहीं हो सकने के कारण खारिज किया जाता है । पक्षकारान सक्षम अपीलीय न्यायालय में पूर्व आदेश की अपील करने हेतु स्वतंत्र है ।" उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि का रकबा अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2016 द्वारा दुरूस्त किया है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.3.2018 द्वारा अपीलान्ट रामेश्वर का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के दोनों अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधि सम्मत हैं । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं उनके तथ्यों पर विचार किया तथा उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2016 पारित कर अपीलान्ट की आराजी खसरा नं. 2184 रकबा 2.69 है0 साबिक खसरा नं. 773 रकबा 7 बीघा से बना है, जिसको हैक्टेयर में बदलने में 1.77 हैक्टेयर बनता है । इस प्रकार खसरा नं. का रकबा 0.92 हैक्टेयर गत के मुकाबले बढा है जिसमें से 0.92 हैक्टेयर रकबा कम किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2016 पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है । अपीलान्ट्स आराजी खसरा नं. 2184 रकबा 2.6900 है0 के खातेदार होने से हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति हैं जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । किसी भी हितबद्ध व्यक्ति को बिना सुने उसके अधिकारों के विपरीत पारित आदेश को उचित एवं न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामा दिनांक 2.2.18 के आधार पर निर्णय करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश 1.6.2016 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.3.18 पारित कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा जो आदेश दिनांक 1.6.16 को दुरूस्ती का किया गया है वह रिकार्ड एवं

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है इसलिये उक्त आदेश इस न्यायालय द्वारा जरिये राजीनामा रिवर्ट नहीं किया जा सकता । हम समझते हैं कि अपीलान्ट विवादित भूमि के खातेदार होने से हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार है जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति को बिना सुने पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2016 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट संख्या 31/2018 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 1.6.2016 निरस्त किया जाता है ।

चूंकि अपीलान्ट ने उप खण्ड अधिकारी सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.3.2018 के खिलाफ प्रस्तुत अपील संख्या 30/18 में भी उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.6.2016 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है । इस न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील संख्या 31/2018 में अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2016 निरस्त किये जाने से अपीलांट की अपील संख्या 30/18 स्वतः ही निर्णित हो जाती है । ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि दोनों अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर दोनों अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2016 व 9.3.2018 निरस्त किये जाकर प्रकरण उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में दोनों अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, सीकर दिनांक 1.6.2016 व 9.3.2018 निरस्त किये जाकर प्रकरण उभय पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर